

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राज्यपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 321]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 नवम्बर 2024—कार्तिक 29, शक 1946

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2024

क्रमांक एफ ए 3-32/2017/1/पांच (23) : राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-32/2017/1/पांच(72) दिनांक 21 जुलाई 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 8 के समक्ष,-

(i) मद (iv क) और कॉलम (3), (4) तथा (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियां को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
“(iv ख) हेलीकाप्टर द्वारा सीट शेयरिंग के आधार पर सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन।	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण पैरा 4 की संख्या (iv) का संदर्भ लें/देखें]।”

(ii) कॉलम (3) में, मद (vii) में, कोष्ठक और अंक “(iv क),” के पश्चात कोष्ठक और अंक “(iv ख),” अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी मानी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2024

क्र. एफ ए 3-32-2017-1-पांच.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-32-2017-1-पांच (23), दिनांक 20 नवम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव।

Bhopal, the 20th November 2024

No. F A 3-32/2017/1/V (23) : In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's Notification No, FA3-32-2017-1-V(41) date 29th June 2017 namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 8,

- (i) after item (iva) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following item and entries relating thereto in columns (3), (4) and (5) shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ivb) Transportation of passengers, with or without accompanied baggage, by air, in a helicopter on seat share basis.”	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken. [Please refer to clause (iv) of paragraph 4 relating to Explanation].”.

- (ii) in column (3), in item (vii), after the brackets and figures “(iva),” the brackets and figures “(ivb),” shall be inserted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 10th day of October, 2024.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.